न्यायालय प्रथम अपील प्राधिकारी जिला कलक्टर बाड़मेर

सूचना अधिकार अपील/113/2022

अपीलांट सज्जनसिंह पुत्र हुकमसिंह
निवासी लीलरिया धोरा वार्ड नंबर 2 तहसील एवं जिला बाड़मेर

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर

<u>आदेश</u>

दिनांक : 19.10.2022

अपीलार्थी सज्जनसिंह पुत्र हुकमसिंह निवासी लीलरिया धोरा वार्ड नंबर 2 तहसील एवं जिला बाड़मेर ने यह प्रथम अपील उत्तरदाता उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19(1) के अन्तर्गत इस कार्यालय में दिनांक 06.10.2022 को प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी के समक्ष प्रार्थना–पत्र व्यक्तिशः उपस्थित होकर/पंजीबद्ध डाक/ऑनलाईन द्वारा प्रस्तुत कर उनके कार्यालय से सम्बन्धित सूचना चाही गई। राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर वांछित सम्पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है, फलस्वरूप यह प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है। अपील के संलग्न राज्य लोक सूचना अधिकारी को प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र की प्रति एवं शुल्क रूपये 10/– पोस्टल ऑर्डर संख्या 252307 दिनांक 29.08.2022 की प्रति संलग्न की गई है।

अपीलार्थी की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट राज्य लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर को जरिये नोटिस मय अपील की प्रति भिजवाते हुए टिप्पणी रिपोर्ट चाही गई। रेस्पोडेंट द्वारा निर्धारित सुनवाई तिथि को टिप्पणी प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना के संबंध में कार्यालय के पत्र क्रमांक 3919 दिनांक 29.09.2022 के द्वारा नियत शुल्क अदायगी पर देय होने के संबंध में अवगत करवाया जा चुका है किन्तु आदिनांक अपीलार्थी द्वारा शुल्क की राशि जमा नहीं करवाई गई है। लिहाजा अपील दाखिर दफ्तर फरमाई जावे।

हमने अपीलार्थी की अपील, रेस्पोडेंट की ओर से प्रस्तुत जवाब एवं अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को जारी पत्राचार का अवलोकन किया। अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी के जवाब एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के अवलोकन से पाया जाता है कि प्रार्थी द्वारा वांछित सूचना के संबंध में नियत शुल्क अदा नहीं किया गया है ऐसे में बिना शुल्क संदाय किये सूचना दिया जाना नियमानुसार संभव नहीं है। अतः रेस्पोडेंट के जवाब का अपील मीमो के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन एवं विवेचन उपरांत अपीलार्थी की यह अपील सारहीन एवं आधारहीन होने से खारिज योग्य है।

अतः अपीलार्थी की यह अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। यदि अपीलार्थी द्वारा नियत शुल्क अदा की जात[illegible] करवा दी जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय की प्र[illegible] अपील[illegible] एवं अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2023.01.02 12:59:23 IST
Reason: SelfAttested

आदेश आज दिनांक 19.10.2022 को न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
बाड़मेर (राजस्थान)

Lok

प्रथम अपील प्राधिकारी
जिला कलक्टर बाड़मेर